4-7-2018 पत्रावली पेश हुई । वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अदालत मातहत में पत्रावली वास्ते जबाब एवं शेष प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन थी जिसमें आगामी पेशी 4-7-2018 नियत थी । अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये ही बिना हमें सूचना दिये ही नियत तारीख पेशी से पूर्व बिना विविध साक्ष्य सबूत कैम्प पत्रावली को कैम्प मुण्डवाडा में रखकर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरित है। अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने केवल प्राथमिक डिक्री इस बात की जारी की है कि तहसीलदार वे विवादित आराजी के मौके के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों को सूचना देकर उनकी मौजूदगी में तैयार कर पेश करें । अदालत मातहत का निर्णय उचित है । केवल अपीलान्ट का यह कहना है कि मुझे सूचना नहीं दी। यह कैम्प तो राज्य सरकार द्वारा लगाये गये है जिसकी सूचना तो आम सूचना है । इसके लिये कोई व्यक्तिशः सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर भी यदि न्यायालय यह उचित मानता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 21-12-2017 में पत्रावली पूर्वादेशानुसार वास्ते जबाब एवं शेष की तलबी में आईन्दा दि0 16-2-18 को पेश हो।" इसके बाद दो पेशियां दिनांक 16-2-18 एवं 17-4-18 की पड़ी जिनमें पी0ओ0 साहब अवकाश पर होने से पत्रावली में

सुगनीदेवी आदि - रेस्प्यान्ट 55/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	मे आगामी पेशी 4-7-2018 नियत की गई ।इसके बाद पत्रावली में बिना किसी प्रकार की कार्यवाही किये ही दिनांक 4-6-2018 को नियत तारीख पेशी से पूर्व ही तलब कर बिना पक्षकारों की मौजूदगी में ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी ।अदालत मातहत ने आदेशिका में कहीं नहीं लिखा पक्षकार अथवा उनके वकील अभिभाषक उपस्थित आये हों । अदालत मातहत की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न तो दावे में विधिक प्रक्रिया पूर्ण की है और ना ही पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया गया है अतः ऐसी स्थिती में हम यह उचित मानते हैं कि प्रकरण को अदालत मातहत को इसी स्तर पर रिमाण्ड कर दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुये पक्षकारों को साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें तथा साथ ही दावे के निर्णय तक उभयपक्ष विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति भी बनाये रखे । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी धोद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4-6-2018 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को उक्तानुसार रिमाण्ड किया जाता है ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 24-8-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 24/7/18 (बृजराज सिंह) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	